

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2019/ 2366

दिनांक: 15.04.21

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)

अलवर, बारां, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर,
करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सिरोही एवं श्रीगंगानगर।

विषय:-पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों के संबंध में - उप चुनाव हेतु नवगठित नगरपालिकाओं से प्रभावित पंचायत समितियों में सम्मिलित अप्रभावित ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के संबंध में।

संदर्भ:-आयोग का पत्रांक 2349 दिनांक 09.04.2021

महोदय,

आयोग के संदर्भित पत्र के माध्यम से यह निर्देश प्रदान किए गए थे कि यदि राज्य सरकार द्वारा नवगठित नगरपालिकाओं में सम्मिलित पंचायत क्षेत्रों को अंतिम प्रकाशन की तिथि तक पंचायतीराज संस्थाओं से पृथक नहीं किया जाता है तो नवीन नगरपालिकाओं के गठन से प्रभावित पंचायत समितियों के लिए भी निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 19.04.2021 को ही कराया जाना है। यदि राज्य सरकार द्वारा नवगठित नगरपालिकाओं में सम्मिलित पंचायत क्षेत्रों को अंतिम प्रकाशन की तिथि से पूर्व पंचायतीराज संस्थाओं से पृथक करने संबंधी आदेश जारी कर दिए जाते हैं तो नवीन नगरपालिकाओं के गठन से प्रभावित पंचायत समितियों के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन नहीं किया जाए।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.04.2021 को नवगठित नगरपालिकाओं में सम्मिलित पंचायत क्षेत्रों को पंचायतीराज संस्थाओं से पृथक करने संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने से इन अधिसूचनाओं एवं आयोग के संदर्भित पत्र के क्रम में कतिपय जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ऐसी ग्राम पंचायतें जो नवीन नगरपालिकाओं के गठन से प्रभावित नहीं हैं, में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराए जाने हेतु निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 19.04.2021 को किए जाने के संबंध में मागदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं एवं रिक्त पदों पर उप चुनाव कराए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में पुनर्विचार कर आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नवगठित नगरपालिकाओं से प्रभावित पंचायत समितियों में सम्मिलित ऐसी सभी ग्राम पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाए जो नवीन नगरपालिकाओं के गठन से प्रभावित नहीं है।

कृपया पालना सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव